रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 445] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 25, 2014/भाद्र 3, 1936
No. 445] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 25, 2014/BHADRA 3, 1936

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2014

सं. 18 /2014-सेवा कर

सा.का.नि.613(अ) — वित्त अधिनियम, 2014 (2014 का 25) की धारा 114 के खण्ड (क) (ख) तथा (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा यह निर्धारित करती है कि उक्त अधिनियम, की उक्त धारा के उपवाक्य (क) (ख) तथा (ग) के प्रावधान 1 अक्तूबर, 2014 से लागू होंगे।

[फा.सं. 334/15/2014-टीआरयू]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2014

No. 18/2014-Service Tax

G.S.R. 613 (E).—In exercise of the powers conferred by clauses (A), (B) and (C) of Section 114 of the Finance (No. 2) Act, 2014 (25 of 2014), the Central Government hereby appoints the 1st day of October, 2014 as the date on which the provisions of clauses (A), (B) and (C) of the said section of the said Act shall come into force.

[F. No. 334 /15 /2014-TRU]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2014

सं. 19 /2014- सेवा कर

सा.का.नि.614(अ). — वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 की उप-धारा (1) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा सेवा कर नियमावली में आगे और संशोधन के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है : —

1. (1) इन विनियमों को सेवा कर (द्वितीय संशोधन) नियमावली,2014 कहा जा सकता है।

(2) यह 1 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी होंगे।

2. सेवा कर नियमावली, 1994 में विनियम 10 के पश्चात, निम्नलिखित नियमों, नामत: को अंतर्विष्ट किया जाएगा :-

"11.निर्धारित विनिमय दर.—कतिपय सेवाओं से संबंधित कर योग्य मूल्य की संगणना के लिये विनिमय दर का निर्धारण जब प्वायण्ट ऑफ टैक्सेशन रूल्स, 2011 की दृष्टि से कराधान से संबंधित प्रश्न खड़ा होता है तो उस समय अनाये जाने वाले लेख सिद्धांतों के अनुसार, कर योग्य सेवा से संबंधित मूल्य की संगणना की विनिमय दर वह विनिमय दर होगी जो बही खाते में प्रविष्टि करने हेतु लागू की जा रही होगी।

12. अनुपूरक निर्देशों को जारी करने की शक्ति.— बोर्ड या मुख्य आयुक्त या आयुक्त ऐसे अनुषांगिक या पूरक मामलों के बारे में लिखित निर्देश जारी कर सकता है जो कि इस अधिनियम को प्रावधानों से संगत हों"।

[फा. सं. 334/15/2014-टीआरयू]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

टिप्पणी : मुख्य अधिसूचना को सा.का.नि. सं. 546 (अ) दिनांक 28 जून, 1994 के तहत अधिनसूचना सं. 2/94- सेवा कर दिनांक 28 जून, 1994 के द्वारा भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया तथा इसमें अंतिम बार सा.का.नि. 478(अ) दिनांक 11 जुलाई,2014 के तहत अधिसूचना सं. 9/2014- सेवा कर, दिनांक 11 जुलाई, 2014 के तहत संशोधन किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2014

No. 19 /2014-Service Tax

G.S.R. 614(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of Section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Service Tax Rules, 1994, namely:—

1. (1) These rules may be called the Service Tax (Second Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the 1st day of October, 2014.

2. In the Service Tax Rules, 1994, after rule 10, the following rules shall be inserted, namely: —

"11. Determination of rate of exchange.– The rate of exchange for determination of value of taxable service shall be the applicable rate of exchange as per the generally accepted accounting principles on the date when point of taxation arises in terms of the Point of Taxation Rules, 2011.

12. Power to issue supplementary instructions.– The Board or the Chief Commissioners of Central Excise may issue instructions for any incidental or supplemental matters for the implementation of the provisions of the Act.".

[F. No. 334 /15 /2014-TRU]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification No. 2/94-Service Tax, dated the 28th June, 1994 *vide* number G.S.R. 546(E), dated the 28th June, 1994 and last amended *vide* notification No. 9/2014-Service Tax, dated the 11th July, 2014 *vide* number G.S.R. 478 (E), dated the 11th July, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2014

सं. 25/2014- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि.615 (अ) — केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, 1994 (1994 का 1) की धारा 37 तथा वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत : —

1. (1) इन विनियमों को सनसेट क्रेडिट (सातवां संशोधन) नियमावली,2014 कहा जा सकता है।

(2) यह भारतीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी हो जाएंगे।

2. सनसेट क्रेडिट नियमावली, 2004 में नियम 12 ए ए ए में "पहली अवस्था तथा दूसरी अवस्था के विक्रेता"के पश्चात"कर योग्य सेवा को प्रदाता " को समावेशित किया जाएगा।

[फा.सं. 334/15/2014-टीआरयू]

अक्षय जोशी,अवर सचिव

टिप्पणी : प्रधान विनियम को सा.का.नि. सं. 600 (अ) दिनांक 10 सितम्बर, 2004 के अंतर्गत अधिसूचना सं. 23/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.), दिनांक 10 सितम्बर, 2004 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया तथा सा.का.नि. 456 (अ), दिनांक 11 जुलाई, 2014 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (i) में अधिसूचना सं. 21/2014- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.), दिनांक 11 जुलाई, 2014 के तहत अंतिम बार संशोधित किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2014

No. 25 /2014-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 615 (E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the CENVAT Credit Rules,2004, namely:-

1. (1) These rules may be called the CENVAT Credit (Seventh Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the CENVAT Credit Rules, 2004, in rule 12AAA, after the words "first stage and second stage dealer", the words "provider,of taxable service" shall be inserted.

[F. No. 334 /15 /2014-TRU]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 10th September, 2004, *vide* notification No.23/2004 - Central Excise (N.T.), dated the 10th September, 2004 vide number G.S.R. 600(E), dated the 10th September, 2004 and last amended *vide* notification No. 21/2014 - Central Excise (N.T.), dated 11th July, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 456 (E), dated the 11th July, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054